न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 144/2023

अनवान : –

1. प्रेमा पुत्री जयनारायण पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ हाल मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. गुडडी पुत्री जयनारायण पत्नी नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ हाल मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. अजय कुमार पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. कानाराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. धर्मपाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. बलराम पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. बाबुलाल पुत्र मनीराम जाति सुथार निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
7. भंवरलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
8. मन्जु पत्नी भीमराज जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
9. महावीर पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
10. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
11. रामलाल पुत्र किशनाराम जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण ननाऊ तहसील नोहर।
13. सत्यनारायण पुत्र बेगाराम जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
14. सत्यपाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
15. सन्दीप कुमार पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
16. सरोज पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
17. हनुमान पुत्र पन्नाराम जाति ब्राहमण निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
18. परमेश्वरी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
19. सन्तलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
20. सुमन पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
21. सरस्वती पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।
23. सिलोचना पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **सायल**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 21/03/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:04 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार [illegible] की रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 375/474 की कुल [illegible] सायला व गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सायला व गैरसायलान का खाता मुश्तरका है सायला ने अपने हक हिस्सा की भूमि समतल व उपजाउ बना रखा है तथा सायला ने परिश्रम व मेहनत करके उक्त वाद भूमि को समतल बनाया है। सायला के हक हिस्सा की भूमि अच्छी किस्म की होने के कारण गैरसायलान से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। इसलिए सायला मुताबिक हक हिस्सा व अपना खाता व लगान गैरसायलान से अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

सायल व गैरसाायलान का खाता मुश्तरका है तथा की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी केता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें की ताफैसला दावा रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 375/374 की कुल 49.0930 हैक्ट भूमि को गैरसायलान रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा रोही ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 375/374 की कुल 49.0930 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4, 6, 17, 19 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 24 की तरफ से श्री भरतसिंह बैनीवाल ने वकालतनाम पेश किया। शेष अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स0 24 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी संख्या 24 ने गैरसायल स0 3, 10 ,14 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.06.2023 को उक्त वाद भूमि खरीद की है इन्होने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 24 को बैय कर दिया है तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि अप्रार्थी स0 24 को सौंप दी है। सायला अप्रार्थी स0 24 को बैयनामे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने से रोक रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर गैरसयल स0 24 का बैयनामा का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज किया जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है एवं गैरसायलान अच्छी किस्म की कृषि अजनबी केता को रहन/बैय करने पर उतारू है अतः जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। अप्रार्थी संख्या 24 ने गैरसायल स0 3, 10 ,14 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.06.2023 को उक्त वाद भूमि खरीद की है इन्होने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 24 को बैय कर दिया है तथा अपने कब्जा काश्त की भूमि अप्रार्थी स0 24 को सौंप दी है। सायला अप्रार्थी स0 24 को बैयनामे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने से रोक रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर गैरसयल स0 24 का बैयनामा का राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज किया जावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 375/374 की कुल 49.0930 हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है तथा अप्रार्थीगण स0 24 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा की चित्रप्रति से यह साबित है कि उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 24 ने समस्त प्रतिफल देकर अप्रार्थी स0 3, 10, 14 से खरीद की है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 19.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:04 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर